अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016
सं0 22/2016-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 81/2005-सीमाशुल्क, तारीख 8 सितंबर, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 569(अ), तारीख 8 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, शर्त (ii) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा,--

"परंतु नगरपालिका और शहरी अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की बाबत, आयातकर्ता, यथास्थिति, उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क के समाधानप्रद रूप में यह साबित करता है कि परियोजना के चालू होने की तारीख से अन्यून दस वर्ष के लिए नगरपालिक ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए आयातकर्ता और शहरी स्थानीय निकाय के बीच विधिमान्य करार है।"

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं.569(अ) तारीख 8 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं.13/2014-सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, सा.का.नि.सं. 460(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।